उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या- 10/2021/ई-305/एक-1-2021-रा0-1
लखनऊ: दिनॉक: 03 अगस्त, 2021

अधिसूचना

जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-86/आर0ए0-3, दिनांक 20-06-2019 व पत्र संख्या-89/के0आर0बी0एल0/आर0ए0-3/2021, दिनांक 24-06-2021 के आलोक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल मै0के0आर0बी0एल0 लि0 की भूमि के मध्य आ रही ग्राम अच्छेजा, तहसील दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर की खसरा सं0-122/0.0130हे0, 201/ 0.0639हे0, 453/0.0160हे0, 270/1431/0.036हे0, 141/0.0540हे0, 210/0.0540हे0, 216/0.0650हे0, 221 /0.0480हे0, 236/0.0200हे0, 268/0.0550हे0, 279/0.0405हे0, 407/0.0125हे0, 460/0.0100हे0, व 200/0.1915हे0 अर्थात कुल 14 गाटा कुल रकबा 0.6846हे0 ग्राम सभा की आरक्षित श्रेणी की भूमि जो नाली, चकमार्ग व मुख्य मार्ग के रूप में दर्ज है, का उसी ग्राम सभा में स्थित मै0 के0आर0बी0एल0 लि0 की भूमि खसरा सं0-468/0.5560हे0 व 467/0.1286हे0 अर्थात कुल 02 गाटा कुल रकबा 0.6846हे0 से तथा ग्राम छपरौला, तहसील दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर की खसरा सं0-625 /0.0160हे0, 627/0.0135हे0, 618/0.021हे0 व 628/0.027हे0 अर्थात कुल 04 गाटा कुल रकबा 0.0775हे0 ग्राम सभा की आरक्षित श्रेणी की भूमि जो नाली व चकमार्ग के रूप में दर्ज है, का मै0 के0आर0बी0एल0 लि0 की ग्राम छपरौला में स्थित भूमि खसरा सं0- 620/0.0775हे0 अर्थात कुल 01 गाटा कुल रकबा 0.0775हे0 से सशुल्क श्रेणी परिवर्तन व विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) विनिमय में प्रस्तावित दोनों ग्राम सभाओं की आरक्षित श्रेणी की भूमियों के संबंध में अवैध अध्यासन हेतु योजित विचाराधीन वादों का निस्तारण होने तथा यदि अवैध कब्जे हेतु कोई जुर्माना निर्धारित किया जाता है तो उसे जमा कराने के पश्चात ही प्रश्नगत भूमियों का विनिमय किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत प्रकरण पर यदि कोई जन शिकायत लम्बित है, तो उसका निराकरण किये जाने के पश्चात् ही विनिमय की कार्यवाही की जायेगी।
(3) उक्त भूमियों का विनिमय/श्रेणी परिवर्तन अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा-शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
(4) संस्था द्वारा लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का मूल्य निर्धारित लेखा शीर्षक ''0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉं-08-मालिकाना राजस्व-0806- प्रकीर्ण प्राप्तियॉं'' के नाम जमा कराया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) कलेक्टर द्वारा ग्राम अच्छेजा व छपरौला स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त संस्था की भूमि को नाली, चकमार्ग व मुख्य मार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(6) उक्त क्षेत्र का मास्टर प्लान घोषित होने से पूर्व संस्था द्वारा विनिमय में प्राप्त हो रही प्रश्नगत भूमि पर कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(7) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(8) कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 10/2021/ई0-305 (1)/ एक-1-2021-रा0-1 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।

3- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

4- श्री राजेन्द्र सिंह नागर, प्रबन्धक,मे0 के0आर0बी0एल0 लि0, ग्राम अच्छेजा, जी0टी0 रोड, दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।